राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1582/2013/उदयपुर

मै0 अब्दुल गफ्फार,
सिलावटवाड़ी, उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री बी.के.मीणा–अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.आर.बकोड़िया,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :– 27.11.2015

यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 41/वेट/12–13 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 14.03.2013 व संशोधित आदेश दिनांक 30.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष ई.सी.प्रमाण चाहने हेतु ई.सी.प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप फार्म डब्ल्यू.टी.–1 दिनांक 09.04.2012 को पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रू0 82,15,133/– पर 3 प्रतिशत से ई.सी.क्र.सं. 3747/09 प्रमाण पत्र रू0 2,46,454/– का जारी किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त जारी प्रमाण पत्र के विरूद्व, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2013 व संशोधित आदेश दिनांक 30.05.2013 द्वारा व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय/आदेश के विरूद्व व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ई.सी.प्रमाण चाहने हेतु ई.सी.प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप फार्म डब्ल्यू.टी.–1 में दिनांक 09.04.2012 को पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे बिल्डिंग निर्माण का ठेका मान कर 3 प्रतिशत से ई.सी.प्रमाण पत्र जारी किया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में संशोधन होकर कर मुक्ति शुल्क दिनांक 01.04.2012 से 1.5 प्रतिशत हो गई है, इसके उपरान्त भी कर निर्धारण अधिकारी ने 3 प्रतिशत से ई.सी.प्रमाण पत्र जारी किया, जो विधिविरूद्व है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलीय

27-11-2015

लगातार.....2

अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व, व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन प्रार्थना पत्र भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश किया था परन्तु अपीलीय अधिकारी ने भी इसे प्रार्थना पत्र में यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि उनके द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 14.03.2013 सही है तथा इस निर्णय में संशोधन की आवश्यकता नही हैं। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में भी विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रति पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का निर्णय 14.03.2013 व दिनांक 30.05.2013 अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपराजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार ने ई.सी. फीस को दिनांक 01.04.2012 से संशोधित की गई थी। व्यवहारी को कार्य आंवटन दिनांक 12.07.2011 को हो गया था तथा व्यवहारी द्वारा दिनांक 12.07.2011 से कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया था। अतः इस अधिसूचना का लाभ व्यवहारी को नहीं दिया जा सकता है। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिकृत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत फार्म डब्ल्यू.टी.–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को Construction of common facility Centre at Delwara का कार्य दिनांक 12.07.2011 से स्वीकृत हुआ है। अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ई.सी.प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2012 को पेश किया लेकिन कार्य का प्रारम्भ दिनांक 12.07.2011 से हो गया था उस समय ई.सी. 3 प्रतिशत से देय थी। चूंकि तत्समय यह अधिसूचना अस्तित्व में नहीं थी इसलिये इस अधिसूचना का लाभ अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करते हुए अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.03.2013 व संशोधित आदेश दिनांक 30.05.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

27-11-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष